International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 29-11-2021, Accepted: 15-12-2021, Published: 30-12-2021
Volume 7; Issue 6; 2021; Page No. 104-108

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

साधना[1], प्रीति[2]
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, दाऊ दयाल महिला (पी.जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट दयालबाग आगरा, (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
वर्तमान युग 'ज्ञान का युग' है। इस ज्ञानवान युग में वही व्यक्ति सषक्त है जो ज्ञानवान है। जिसके पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही सशक्त होगा। शिक्षा को महिला सशक्तिकरण' के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है क्योकि यह उन्हें हर चुनौतियों का जबाब देने, उनकी पारंपरिक भूमिका का सामना करने में सक्षम बनाता है। महिला सशक्तिकरण', के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण' का अर्थ है 'भारत माता का सशक्तिकरण'। वर्तमान शोध पत्र का मुख्य उद्देष्य महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना है। शिक्षा देने के बाद भी लैंगिक भेदभाव भारत में अभी भी कायम है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इस लैंगिक भेदभाव को कम कर सकता है। लड़की को बचपन में ही ऐसी शिक्षा और सुरक्षा मिलती है जिससे वह एक सीमित दायरें में कैद होकर रह जाती है। उसे वो आजादी कभी नही मिल पाती कि वो अपने फैसले खुद कर सके। उसे अपने अधिकार मिलते नही मांगने पड़ते है। स्वतंत्रता से पहले और आज तक नारी को सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे है। फिर भी आज के समय में नारी सशक्त नही है। आज भी गांव में लड़कियों को उनके पति के मर जाने के बाद जला दिया जाता है। आज भी दहेज उत्पीड़न हो रहा है। दहेज न दिया जाने पर उन्हे ससुराल में पीटा जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण, समृद्धि, विकास और कल्याण के लिए शिक्षा एक प्रमुख कारक है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अन्य शक्तियों का आधार है। समय के साथ परिस्थितियों में कुछ बदलाव अवश्य आया है। स्वतंत्रता के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में महिलाओं के शिक्षा, कैरियर और रोजगार के अवसरो में काफी वृद्धि हुई है। अतः हम कह सकते है कि आज की अशिक्षित नारी को शिक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। नारी को शिक्षा देकर ही उसे सशक्त किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही उसका–आर्थिक, सामाजिक एंव राजनैतिक विकास हो सकेगा। यदि महिला सशक्तिकरण को विकसित करना है तो इसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

मूलशब्द: महिला सशक्तिकर, शिक्षा

प्रस्तावना
सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वंय ले सके। नारी सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनो से मुक्त होकर अपने निर्णयो की निर्माता खुद हो। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वंय के फैसले लेने के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही नारी सशक्तिकरण हैं। देश समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये नारी सशक्तिकरण बेहत जरूरी हैं। नारी सशक्तिकरण के अर्न्तगत नारियों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनो मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। नारी सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तरों पर नारियों में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है। जिसने नारियों की स्थिति को सदैव कमतर माना है। मौलिक रूप से हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज रहा है। नारियों को हमेशा यहाँ दूसरे दर्जे का स्थान ही प्रदान किया गया है। पहले नारियों के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक और कुछ नही थी; जिसे हर कदम पर पुरूष के सहारे की जरूरत पड़ती थी। नारी सशक्तिकरण के तहत नारियों के भीतर ऐसी प्रबल भावना उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि वह अपने भीतर छिपी प्रतिभा को सही मायने में उजागर कर, बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें।

बेहतर समाज के निर्माण में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए विश्व पटल पर नारी शक्ति को जागृत करने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी जागरण को समर्पित इस दिवस पर एक थीम तय की जाती है। यह थीम हर साल अलग–अलग रखी जाती है।

2019 की थीम थी '' Think Equal Build Smart Innovate For Change '' यानि समान सोचें, स्मार्ट बने, बदलाव के लिए नया करें। क्योंकि नारी विश्व की चेतना है, ममता है, माया है और मुक्ति है। दुसरे शब्दों में कहे तो जीवन मात्र के लिए करूणा सजाने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। हमेशा से नारी सशक्तिकरण के मार्ग में उसका शरीरिक रूप से कमजोर होना बाधक बनता रहा है। इस बात को जय शंकर प्रसाद जी ने भी महसूस कर अपनी रचना में लिखा है–

''यह आज समझ तो पाई हूँ , दुर्बलता में मैं नारी हूँ।
अवयव की सारी कोमलता , लेकर मैं सबसे हारी हूँ।।''

लेकिन इस सबके बावजूद नारी को जहाँ भी आर्थिक, सामाजिक,

राजनितिक क्षेत्रों में पुरूषों के समान अवसर प्राप्त हुए है, वहाँ उसने अपने आप को पुरूषों के समकक्ष श्रेष्ठ साबित कर दिखाया है।

2020 की थीम थी' I am Generation Equality: Realizing Women's Right" इसका मतलब महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जेंडर इक्वेलिटी पर बात करना है। 2021 " Women in leadership: an equal future in a COVID-19 world रखी गई है। यह थीम COVID and 19 महामारी के दौरान दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को समर्पित करती है।

जॉर्ज हर्बर्ट के अनुसारः– ''एक अच्छी माता सौ शिक्षको के बराबर होती है। इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए।''

डा. राधकृष्णन ने भी कहा है कि–''नारी नर की सहचरी उसके धर्म की रक्षक गृहस्थी तथा उसे देवतत्व तक पहुँचाने वाली साधिका है।''

समय बदल जाने के बाद भी पुरूष आज भी नारियों को बराबरी का दर्जा देना पसन्द नही करते, उनकी मानसिकता आज भी पहले जैसी ही है। बेटी के पैदा हो जाने पर वे सोचते है कि उसे पढ़ा–लिखा कर खर्चा क्यों करना। लेकिन जब सरकार उन्हें लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का लालच देती है तो वह उसे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते है और हम यह समझने लगते है कि परिवारों की मानसिकता बदल रही है।

भारत में नारी की ऐतिहासिक स्थिति

वर्षो से कुछ समाजशास्त्री एंव गैर–समाजशास्त्री हमारे समाज में स्त्रियों की समस्याओं के मूल्यांकन एंव उनकी प्रस्थिति में आ रहे परिर्वतनों के अध्ययन में प्रयत्नशील रहे है। वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए चाहे कितने भी कदम उठाए गए हो, व्यावहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया, तथा उनका तिरस्कार, अपमान व प्रतांड़ना अभी भी जारी है। अब भी उनका मत जानने के लिए गंभीरता ही दर्शई जाती हैं, उन्हे पुरूषो के समान नही समझा जाता तथा उनको उचित सम्मान नही दिया जाता। 1930 और 1940 के दशकों मे सामाजिक राजनैतिक नेताओं की समानता के लिए प्रतिबद्धता मे भारतीय महिलाओं के उदार समतावादी मूल्यो के लिए किए जा रहे आन्दोलन को प्रभावित किया। स्त्रियों की दशा में इस परिर्वतन के अध्ययन के लिए हम प्राचीन काल से ही प्रारम्भ करेंगे।

वैदिक और उत्तरवैदिक काल में नारी की स्थिति

वैदिक काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियाँ वैदिक काल में पर्दा नही करती थी। अपने जीवनसाथी का चुनाव स्वंय करती थी। उन्हे शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नही थे। पुत्री के रूप में स्त्रियों का अपने पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नही होता था। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैदिक भारत में स्त्रियों की स्थिति निम्न नही थी। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रो में उन्हें अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे लेकिन आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में उनके अधिकार सीमित थे।

बौद्ध काल में नारी की स्थिति

बौद्ध धर्म का उदय हिन्दूवाद पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। ब्राह्मण तथा पुराणों के काल में स्त्रियों पर अनेक अन्यायपूर्ण एवं अनुचित सामाजिक निषेध थोप दिए गए जैसे– शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, जीवन साथी चुनने का अधिकार न देना आदि। बौद्ध काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ। उनका अपना संघ बना जिसे भिक्षुणी संघ कहा गया। इस संघ के भी वही नियम निर्देष थे जो भिक्षुओं के थे। संघ ने स्त्रियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों समाज सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में अनेक स्थलों पर भाग लेने के अवसर प्रदान किए। सामाजिक क्षेत्र में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। उनकी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ।

मध्य काल में नारी की स्थिति

18 वीं शताब्दी के मध्य जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई अथवा लगभग 700 वर्षो तक सामाजिक संस्थाओं का विखण्डन, परम्परागत राजनैतिक संरचना में उथल–पुथल, बड़ी संख्या में लोगो का प्रवासन तथा देश में आर्थिक मन्दी आदि ने देश में सामाजिक जीवन में विशेष रूप से महिलाओं के पतन में योगदान दिया। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के कठोर एकान्त नियम बन गया। शिक्षण की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 15 वीं शताब्दी में कुछ परिर्वतन आया। रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आन्दोलन का आयोजन किया जिसने भारत की नारियों के धार्मिक व सामाजिक जीवन में नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया। पर्दा प्रथा समाप्त कर दी गई। मनु के समय से ही स्त्रियों को शिक्षा से रोक दिया गया था। सन्तों ने स्त्रियों को धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन व स्वयं को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया।

स्वत्रन्त्रयोत्तर काल में नारी की स्थिति

भारत में 1940 तक स्त्रियों की निम्न दिशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषो का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। 19 वीं शताब्दी के अतिंम दशकों तथा 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक 25 वर्षों में जब कुछ पुरूष समाज सुधारकों ने नारियों की दशा सुधारने की बात की तथा उनके प्रयत्नों से महिला आन्दोलनों को बल मिला, तब ब्रिटिश सरकार कुछ वैधानिक कदम उठानें तथा कुछ सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने या उनमें परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गई।

महिला सशक्तिकरण का विकास

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिला सशक्तिकरण के विकास हेतु प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गया था। पंचवर्षीय योजनाओ के तहत विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियो के माध्यम से महिलाओ के उत्थान के प्रयास किये गये। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के प्रति 'कल्याणकारी' अधिगम को अपनायें रखा। यही नही समाज के दूसरे उपेक्षित तत्वों जैसे– विकलांग, वृद्ध आदि के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों को इस अधिगम से जोड़ दिया गया। दूसरी योजना के दौरान महिलाओं हेतु सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम तथा तीसरी योजना के दौरान कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजनायें शुरू की गई।

चौथी योजना के दौरान ही संसद में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति की रिर्पोट पेश की गई।

पाचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) के दौरान ही वर्ष 1796 में समाज कल्याण मंत्रालय के तहत एक महिला कल्याण मंत्रालय के एक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के विकास हेतु रणनीति तय करने के लिए रोजगार, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र पर चार कार्य बल तैयार किये गए।

छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला विकास के क्षेत्र में 'कल्याण' से 'विकास' की ओर अवधारणा विकसित हुई।

सातवीं योजना में शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला रोजगार पर बल दिया गया। इसी दौरान 2 नई योजनायें सपोर्ट

टू ट्रैनिंग एण्ड एम्प्लॉयमेंट 'स्टेप' व निर्धन ग्रामीण महिलाओं हेतु जागरूकता निमार्ण कार्यक्रम की शुरू आत की गई।

अठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियों हेतु विशेष विकास योजनायें लागू करने व दूसरी विकास योजनाओं का लाभ महिलाओं तक समान रूप से पहुॅचानें की रणनीति तय की गई। इसी दौरान महिला विकास हेतु कुछ ऐसे कदम उठाये गए जो महिला विकास के इतिहास में ही नही, बल्कि देश के विकास के इतिहास में भी नील का पत्थर माने जा सकते है।

नौवीं योजना तक भारत में सशक्तिकरण की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया।

वर्ष 2001–2002 10 वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी का वर्ष था। इस वर्ष तीन विशेष कार्यबल नारी सशक्तिकरण, बाल विकास एवं देश की जनसंख्या विशेषतया दुर्बल वर्गो की पोषण पद्धतिया विकसित की। इन सभी प्रयासो से नारी की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक सरकारी प्रयास हुए और वे काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन सरकार समाज की मान्यताएॅ प्रवृत्तियॉ एवं भ्रान्तियॉ दूर नही कर सकती है। उसके लिए स्वयं व महिलाओं सहित पूरे समाज को आगे आना होगा। हमें राष्ट्र व समाज में नारियों के योगदान को स्वीकार करना होगा।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिये प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नये रिती–रिवाजों और परंपरा में ढ़ाल दिया गया था। आज जरुरत है कि देश की आधी आबादी यानि महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए जो देश के विकास का आधार बनेंगी।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम है

एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज रोक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल की रोकथाम) एक्ट 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं

1. सामाजिक मापदंड पुरानी और रुढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है।
2. कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है।
3. लैंगिग भेदभाव भारत में अभी भी कार्यस्थलों महिलाओं के साथ लैंगिग स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार के भेदभावों के कारण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा बिगड़ जाती है और इसके साथ ही यह महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी बुरे तरह से प्रभावित करता है।
   है।
4. अशिक्षा महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी
5. समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं है। भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9 प्रतिशत है।
6. बाल विवाह हालांकि पिछलें कुछ दशकों सरकार द्वारा लिए गये प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है लेकिन 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रुप से व्यस्क नही हो पाती है।

वर्तमान में अपनें अधिकारों के प्रति नारी की जागरूकता :–

वर्तमान समय में नारी अपनें अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। उसे भी पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए क्योकि किसी भी क्षेत्र में नारी पुरूषों से कम नही है। वह हर क्षेत्र में पुरूषों से आगे है।

पुरूषों के समान नारियों को भी भारतीय संविधान द्वारा प्रमुख अधिकार प्रदान किये गए –

1. समानता का अधिकार

अर्थात् अवसरों की समानता, कानून के समझ समानता, कानूनों का समान संरक्षण तथा नौकरियों आदि में लिंग के आधार पर भेदभाव न समझा जाए उन्हे हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरियों में भी उन्हें समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा में भी उन्हें समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

व्यवसाय स्वयं चुन सकती है। उस पर किसी का दबाब नही है। उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वह रहने और कहीं भी आ जा सकने के लिए स्वतंत्र है।

3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात् उपदेश धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक अनुपालन करना।

4. सम्पत्ति का अधिकार, अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का अधिकार।

5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अर्थात् संस्कृति का संरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं के दो प्रमुख अधिकार है–महिलाओं को मताधिकार और विधान मण्डल के लिए योग्यता। महिला मताधिकार की मॉग सर्वप्रथम 1917 में की गई थी, किन्तु साउथ बरो फ्रेन्चाइज कमेटी ने 1918 में इस मॉग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारो को अधिकार दे दिया कि वे नारी मताधिकार के सम्बन्ध में अपने अलग विधान लागू करे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्त्री मताधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद स्त्री मतदाताओं की संख्या तथा राज्य विधान मण्डलों तथा लोक सभा में महिला प्रतिनिधियो की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

6. सामाजिक अधिकारः नरियो को विवाह संबंधी कानूनों की जानकारी बहुत कम है। उन्हे स्वयं वर चुनने की स्वतंत्रता नही थी। लेकिन वर्तमान समय में नारियो को सामाजिक अधिकार प्राप्त है। वह परिवार में अपने निर्णय स्वयं ले सकती है।

महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा किये गए प्रयास

1. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016):** इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत गरीब महिलाओं को मुफ्त एल पी जी गैस कनैक्शन मिलेंगें। इसका मुख्य उददेश्य महिला सशक्तिकरण को बढावा देना उनकी सुरक्षा करना है।
2. **बेटी बचाओ, बेटी पढाओं (2015):** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढाओं कार्यक्रम की षुरूआत की। मोदी ने कहा कि हमें बेटा, बेटी को एक समान मानना चाहिए। उन्होनें कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाने की बात कही।
3. **सुकन्या समृद्धि योजना (2015):** 22 जनवरी 2015 के तहत 10 साल तक की बेटी के लिए माँ–बाप 1000 से लेकर 1.5 लाख रूपये तक की राशि बैंक में जमा कर सकते है। इसमें किसी भी बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इॅनकम टैक्स भी नही लगेगा। 21 साल के बाद पूरा पैसा निकलवा सकते है।
4. **जन धन योजना (2014):** इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई गई। इसके तहत अकाउंट की अपील की गई है।
5. **इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (2010):** सन 2010 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना शुरू की गई। इस योजना के अर्न्तगत 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिला को उसके दो बच्चों तक कुछ राशि दी जाती है।
6. **कन्या विधा धन योजना (2010):** UP सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उददेष्य निर्धन परिवार की लड़कियो को 12 वीं पास करने पर शिक्षा हेतु मुफ्त धन राशि प्रदान करके बालिका शिक्षा प्रदान करना।
7. **मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (2009):** माँ और उसके बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल सेवाऐ प्रदान की जाऐ। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण आदि सुविधाऐ प्रदान की जाऐं।
8. **लाडली स्कीम (2008):** यह योजना लड़कियो को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदान की गई। यह प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा चलाई गई थी।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा का शब्द बहुत व्यापक है। शिक्षा षब्द की उत्पत्ति 'शिक्ष' धातु से हुई है जिसका शब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना है। इसकी व्युत्पत्ति 'विधा' से भी मानी जाती है अर्थात जिसके द्वारा जाना जाये वह विधा है। 'विधा' वह जो मुक्ति प्रदान करे 'सा विधा या विमुक्तये'।

इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अन्य शक्तियो का आधार है। महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में बात की जाये तो अन्य प्रकार की सशक्तता–आर्थिक, सामाजिक एंव राजनैतिक के लिए शिक्षा निश्चिततः आधार का कार्य करती है। नारी जीवन में शिक्षा कई ऐसे कार्य करती है जो क्रमषः उसे सशक्त बनाते है। इस प्रकार नारी जीवन में या नारी सशक्तिकरण में शिक्षा का अत्यन्त गंभीर स्थान है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। सशक्तिकरण के लिए आत्मविश्वास एक बड़ा मानक है।

अक्षर के जादू ने–
उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया,
चुप्प रहना छोड़ दिया
लड़की ने डरना छोड़ दिया
समय और शिक्षा ने उसके चिन्तन का रूख मोड़ दिया
चुप्प रहना छोड़ दिया,
लड़की ने ड़रना छोड़ दिया (ष्यौराजसिंह बेचैन)

ऊपर लिखी कविता ने महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ मे शिक्षा के महत्व को बखूबी रेखांकित किया है।

गठित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट द्वारा भारतीय समाज में नारियों की स्थिति पर विचारः न्होने स्त्री–शिक्षा की आवष्यकता बताते हुए लिखा है कि '' किसी भी मानव समाज में स्त्रियो की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नारियॉ राष्ट्रीय के विकास के लिए उतना ही महत्व रखती है जितना उस देश के खनिज पदार्थ। स्त्रियों की शक्ति का समुचित उपयोग करने और उनका सही नियंत्रण करने पर और साथ ही उनके साथ आदर का बर्ताव करने पर वे ऐसी महान और प्रबल शक्ति का रूप धारण कर लेती है जिसका राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948): 'शिक्षित स्त्री के बिना षिक्षित पुरूष हो ही नही सकता है। यदि पुरूषो और नारियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए।''

1963 में वनस्थली विधापीठ में पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण के दौरान कहा था किः ''लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।''

शिक्षा की भूमिका नारी को सशक्त बनाने में स्पष्ट है। वर्तमान युग में शिक्षा का नारी जीवन में और भी अधिक महत्व है। आज वह परिस्थितियों के कारण काफी प्रभावित हुई है। शैक्षिक प्रशासन भी नारियों की शिक्षा को प्रभावित करता है। प्रायः स्त्री–शिक्षा का प्रशासन भी पुरूषो के हाथ में होता है। इसी कारण अनेक योग्य महिलाएँ भी अध्यापन कार्य नही करना चाहती। है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। विकास के लिए नारियों का सशक्तिकरण आवश्यक है। अतः उसे सशक्त बनाना आज के समय में बहुत आवश्यक है। नारी को सशक्त बनाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता से पहले और आज तक नारी को सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे है। फिर भी आज के समय में नारी सशक्त नही है। 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार आया है। आज का समाज अभी भी पुरूष प्रधान समाज है। जो कि नारियों को ऊचे उठते नही देख सकता। भले ही नारी आज हर क्षेत्र में सफल है। पर कही न कहीं उसका नारीत्व ही उसकी कमजोरी है। समय के साथ परिस्थितियों में कुछ बदलाव आवष्य आया है। स्वतंत्रता के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में महिलाओं के शिक्षा, कैरियर और रोजगार के अवसरो में काफी वृद्धि हुई है। नारियों को चुनाव के दौरान नागरिको के रूप में गिना जाता है परन्तु इन्ही के द्वारा चुनी गई सरकारों में से किसी सरकार ने अपने शासनकाल में महिला नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने की प्राथमिकता नही दिखाई। सरकार की ओर से नारियों को कानूनी संरक्षण व अधिकार देने का दिखावा हो रहा है वह मात्र नारियों को भ्रमित करने का एक जरिया है। सच तो यह है कि आज भी नारी को अधिकार मिलते ही नहीं और यदि संर्घष करने के बाद मिल भी जाते है तो वह उन्हे प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नही है। अगर हमें नारी को सशक्त करना है तो हमें उसे पुरूषों के समान अधिकार देने होंगे। महिला को विकास की सारी सुविधा उपलब्ध

कराकर उसे सुदृढ़ बनाना। आज की अशिक्षित नारी को शिक्षित बनाने के लिए प्रयास व्यापक स्तर पर होने चाहिए। दहेज बाल–विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियो को रोकने के लिए नारियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नारी को ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे तो वह सशक्त हो जायेगी। नारी को शिक्षा देकर ही उसे सशक्त किया जा सकता है। नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देश भर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवष्य हो सकेगा। इससे उनमे आत्म जागृति उत्पन्न होगी और वे घर व बाहर निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। नारियों के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि पुरूष भी उनकी भागीदारी पर सहयोग करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. http://www.gyanipandit.com/mahila-sashaktikaran-essay-in-hindi/
2. www.hindikiduniya.com/essay/womenempowerment-essay-in-hindi/amp/
3. www.khayalrakhe.com/2017/07 efgyk lfDr ij fucU/k. html
4. Joshi Pushpa. Gandhi on women, centre for women's development studies, New Delhi, 1988.
5. Desai, Neera, women in modern India, vora and company, Bombay, 1957.

6ण विचार–संचार का नया वितान, समसामयिक घटना चक्र प्रा. लि. 188 I/128 एलनगंज, इलाहाबाद–211002

7ण समाज कार्य ए. कुमार सुप्रिया पाठक सिल्वर लाईन पब्लिकेशन 17/3 मथुरा रोड फरीदाबाद–2015

8ण गुप्ता डॉ. एस. पी. एवं गुप्ता डॉ अलका , भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद –2010